फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

कोमल पूनिया व अन्य बनाम श्रीमती गीतारानी

केस संख्या 14 /2022 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
26.05.2022	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी उपस्थित है। पत्रावली के एडमीशन पर अपीलार्थी को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया । अपीलार्थी ने माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के प्रकरण संख्या 09/2021 ब उनवानी गीता रानी कपूरिया बनाम श्रीमती कोमल पूनिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.04.2022 से व्यथित होकर यह अपील पेश की है। माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 की धारा 16 इस प्रकार है– ' " 16 Appeal (1) Any senior citizen or a parent, as the case may be aggrieved by an order of a Tribunal may, within sixty days from the date of the order, prefer an appeal to the appellate Tribunal." अर्थात अधिकरण के आदेश से व्यथित कोई वरिष्ठ नागरिक या माता–पिता आदेश की तिथि से साठ दिवस के अन्दर अपील अधिकरण के समक्ष अपील दाखिल कर सकेगा। चूंकि यह अपील दत्तक पुत्री द्वारा पेश की गई है। फलस्वरूप प्रस्तुत अपील क्षेत्राधिकार में नहीं होने से एडमीशन पर ही खारिज की जाती है। अपीलार्थी सक्षम न्यायालय में चारःजोई करने के लिए स्वंतत्र है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो। 26/05/22 (सजन विशाल) जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर	